न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 707 सन 2020

अनवान :–

1. देवेन्द्र पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सावित्री उर्फ सावत्रीदेवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 106/96 की कुल 1.4670हैक मे से 1/2 हिस्सा , चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 130/115 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 160/161 कुल 1.5180हैक में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 162/162 की कुल 0.6070हैक व 13 जेएसएन के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4790हैक मे से 1/2 हिस्सा भूमि व 5 ए बारानी के खाता संख्या 56/53 की कुल 2.0490हैक मे से 506/10305 हिस्सा ,व खाता संख्या 299/269 की कुल 1.8980हैक मे से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 161/162 की कुल 12.5330हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम उसके पति हरदेवाराम पुत्र सगुराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से दर्ज हुई है हरदेवाराम के कोई औलाद नही थी एकमात्र प्रतिवादीया पत्नि ही वारिस होने के कारण प्रतिवादीया के नाम विरासतन से दर्ज हुई है प्रतिवादीया संख्या 1 वादी के साथ पुत्र ही तरह रह रही है एवं काफी वृद्व हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीया ने अपने हक हिस्सा की भूमि मे से आधी भूमि वादी के पक्ष में त्याग कर दी गई है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जो वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम से दर्ज नही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की चाची है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति हरदेवाराम के देहानत होने पर राजस्व रिकार्ड में विरासतन से दर्ज हुई थी प्रतिवादीया के कोई औलाद नही है प्रतिवादीया का पति बेऔलाद फोत हुआ है प्रतिवादीया वादी के साथ माता के रूप में रह रही है प्रतिवादीया ने वादी के स्नेह के कारण अपने हक हिस्सा की भूमि में से आधी भूमि वादी को परिवारिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

समझौते के तहत दी जाकर बाहमी बटवारा कर लिया है जो वादी के कब्जा काश्त में वादी को दी गई भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 106/96 की कुल 1.4670हैक मे से 1/2 हिस्सा , चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 130/115 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 160/161 कुल 1.5180हैक में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 162/162 की कुल 0.6070हैक व 13 जेएसएन के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4790हैक मे से 1/2 हिस्सा भूमि व 5 ए बारानी के खाता संख्या 56/53 की कुल 2.0490हैक मे से 506/10305 हिस्सा ,व खाता संख्या 299/269 की कुल 1.8980हैक मे से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 161/162 की कुल 12.5330हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम उसके पति हरदेवाराम पुत्र सगुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई है हरदेवाराम के कोई औलाद नही थी एकमात्र प्रतिवादीया पत्नि ही वारिस होने के कारण प्रतिवादीया के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है प्रतिवादीया संख्या 1 वादी के साथ पुत्र ही तरह रह रही है एवं काफी वृद्व हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीया ने अपने हक हिस्सा की भूमि मे से आधी भूमि वादी के पक्ष में त्याग कर दी गई है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जो वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम से दर्ज नहीं है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 106/96 की कुल 1.4670हैक मे से 1/2 हिस्सा , चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 130/115 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 160/161 कुल 1.5180हैक में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 162/162 की कुल 0.6070हैक व 13 जेएसएन के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4790हैक मे से 1/2 हिस्सा भूमि व 5 ए बारानी के खाता संख्या 56/53 की कुल 2.0490हैक मे से 506/10305 हिस्सा ,व खाता संख्या 299/269 की कुल 1.8980हैक मे से 1/2 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 161/162 की कुल 12.5330हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि प्रतिवादीया को उसके पति हरदेवाराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है हरदेवाराम के कोई औलाद नही थी बेओलाद ही फोत हुआ था प्रतिवादीया संख्या 1 वादी के साथ माता के रूप में रहती है इसलिये परिवारिक समझौते के तहत प्रतिवादीया ने अपने नाम से दर्ज भूमि में से आधी भूमि वादी को दी जाकर बाहमी बटवारा कर लिया था वादी के कथनों को प्रतिवादीया संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की आधी भूमि वादी को दी गई है क्योंकि वादी के साथ रहती है व उसकी सेवा चाकरी से खुश होकर दी गई जो उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीया के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है वादी एवं प्रतिवादीया की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादीया संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 160/161 की कुल 1.5180हैक में से 1/2 हिस्सा, चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4790हैक मे से 1/2 हिस्सा व चक 5ए बारानी के खाता संख्या 56/53 की कुल 2.0490हैक में से 5026/10305हिस्सा व खाता संख्या 299/269 की कुल 1.8980हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 106/96 की कुल 1.4670हैक में से 1/2 हिस्सा, चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 130/115 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 162/162 की कुल 0.6070हैक व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 161/162 की कुल 12.5330 है मे से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. देवेन्द्र पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सावित्री उर्फ सावत्रीदेवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 707 सन 2020 निर्णय दिनांक– 29/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 160/161 की कुल 1.5180हैक में से 1/2 हिस्सा, चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4790हैक मे से 1/2 हिस्सा व चक 5ए बारानी के खाता संख्या 56/53 की कुल 2.0490हैक में से 5026/10305हिस्सा व खाता संख्या 299/269 की कुल 1. 8980हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 106/96 की कुल 1.4670हैक में से 1/2 हिस्सा , चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 130/115 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 162/162 की कुल 0.6070हैक व रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 161/162 की कुल 12.5330 है मे से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner